

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली

OA No. 134/2017 (CZ)

रमेश अग्रवाल
विरुद्ध
मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
14/07/2020 को पारित आदेश के अनुपालन में तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण
क्रमांक OA No. 134/2017 (रमेश अग्रवाल विरुद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य)
में दिनांक 14/07/2020 को निम्नानुसार आदेश पारित किए गए हैं :-

- 1) The matter of illegal encroachment and the construction on the water-bodies namely three ponds situated at District Agar city to the middle/center was raised in the issue and report was called and the Tehsildar, Agar was also directed to submit a report and appear before the Tribunal but he failed to appear and filed to submit a report.
- 2) Thus, we direct the Collector, Agar and Mahya Pradesh State Pollution Control Board (SPCB) to submit a factual and action taken report.
- 3) The report be a submitted within on month from today by E-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट
निम्नानुसार है :-

1. तीनों तालाबों का सीमांकन का कार्य राजस्व विभाग एवं नगरपालिका परिषद् आगर द्वारा दिनांक 09/08/2020 को किया गया है। सीमांकन में दावलसा मैदान तलाई एवं


A

[Signature]

- रातडिया तालाब के पास कुछ स्थानों पर अतिक्रमण पाया गया है। सीमांकन रिपोर्ट परिशिष्ट 01 अनुसार सलंग्न है।
2. मोतीसागर तालाब एवं दावलसा मैदान तलाई में दूषित जल का निस्सारण नहीं है। रातडिया तालाब में आस-पास के रहवासी कालोनियों के दूषित जल का निस्सारण रोकने के संबंध में नगरपालिका परिषद आगर द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जिसके अंतर्गत दूषित जल को संग्रहित कर अन्यत्र डायवर्ट करने हेतु आर.सी.सी. ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है। याचिका में उल्लेखित तीन तालाबों में शहर के घरेलू दूषित जल मिलने एवं इसके रोकने हेतु की गयी कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन परिशिष्ट 02 अनुसार सलंग्न है।
 3. रातडिया तालाब के संरक्षण हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन की बैठक दिनांक 04/03/2020 में रूपए 340 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। जिसके अंतर्गत शकरकुईयाँ के समीप 500 किलो लीटर प्रति दिन क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की भी योजना प्रस्तावित है। तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रचलन में है। विस्तृत योजना की जानकारी परिशिष्ट 03 अनुसार सलंग्न है।

एक्शन टेकेन रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

सलंग्न : उपरोक्तानुसार



एस.एन. द्विवेदी
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन



अवधेश शर्मा
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला- आगर मालवा

कार्यालय तहसीलदार तहसील आगर, जिला आगर-मालवा(म.प्र.)

क्रमांक/री-1/2020/989

आगर दिनांक 11.08.2020

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
(स्टेनो शाखा)
जिला आगर-मालवा

द्वारा :- श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय , अनुविभाग आगर-बडौद

विषय:- कस्बा आगर के तालाब के सीमांकन प्रतिवेदन के संबंध में ।

- संदर्भ:- 1. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग आगर-बडौद के पत्र क्रमांक /री-
एक/2020/3654 आगर दिनांक 31.07.2020 के पालन में ।
2. कार्यालय नगर पालिका परिषद आगर के पत्र क्रमांक/निर्माण/2020/1813 आगर दिनांक
30.07.2020 के संबंध में ।

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान से निवेदन हैं कि संदर्भित पत्रों के माध्यम से कस्बा आगर स्थित मोती सागर तालाब, रत्न सागर तालाब एवं बस स्टेण्ड किनारे वाली तलाई के सीमांकन किये जाने हेतु प्राप्त हुआ । उपरोक्तानुसार पत्र के पालन में सीमांकन करने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/री-1/2020/981 आगर दिनांक 05.08.2020 के पालन में कस्बा छावनी एवं कस्बा आगर के शासकीय तालाब-मोतीसागर तालाब, रत्नसागर तालाब, एवं बस स्टेण्ड की तलाई की भूमि का सीमांकन करने हेतु श्री मनीषसिंह तिवारी, राजस्व निरीक्षक व्रत 01 आगर , श्री कुमेरसिंह भीलाला, राजस्व निरीक्षक व्रत 04, तनोडिया, श्री त्रिलोकचन्द्र पाटीदार पटवारी कस्बा आगर एवं छावनी, श्री प्रसन्न राजावत पटवारी हल्का क्रमांक 1 नरवल एवं श्री ब्रजेन्द्र शर्मा पटवारी हल्का क्रमांक 43 का दल गठित किया जाकर उपरोक्त आवेदित भूमि का सीमांकन करने हेतु आदेशित किया गया ।

सीमांकन दल के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक मुख्य नगर पालिका अधिकारी को विधिवत लिखित सूचना पत्र दिनांक 06.08.2020 को जारी किया जाकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं उपयंत्री, राजस्व उपनिरीक्षक आदि अमले की उपस्थिति में दिनांक 07.08.2020 एवं 08.08.2020 को कस्बा छावनी एवं कस्बा आगर की शासकीय तालाब, रत्नसागर तालाब, मोती सागर तालाब एवं बस स्टेण्ड के पास वाली तलाई का सीमांकन किया गया।

निरन्तर-----2

//2//

रत्नसागर तालाब सीमांकन:- कस्बा छावनी की शासकीय तालाब नाईयत की भूमि सर्वे क्रमांक 152/1/2 रकबा 2.874, 152/2 रकबा 0.125, 152/3 रकबा 0.502, 152/4 रकबा 0.157, 152/5 रकबा 0.732, 153 रकबा 5.278 कुल रकबा 9.668 हेक्टेयर भूमि का नियुक्त राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी दल द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सी.एस.जाट, एवं सहा.यंत्री श्री एम.एल.बागडी उपयंत्री श्रीमती निधि पटेल, सहा.राजस्व निरीक्षक श्री चिन्तामण व्यास, एवं श्री रामचन्द्र सिंदल, आदि अमले की उपस्थिति में टी.एस.एम. मशीन एवं जरीब के माध्यम से उपलब्ध पटवारी नक्शा एवं नजुल नक्शा अनुसार मिलान किया जाकर सीमांकन किया गया। सीमांकन उपरान्त उपरोक्त भूमि की चतुर्थसीमा नाप कर सीमाचिन्ह कायम करवाये गये। मोके पर नगर पालिका के अधिकारियों एवं अमले के द्वारा चुने की लाईन डालकर सीमा चिन्ह कायम करवाए गए। मौजूद पटवारी नक्शा में सर्वे क्रमांक 152 में बटांकन तरमीम नही होने के कारण सम्पूर्ण सर्वे क्रमांक की का सीमांकन किया गया। उक्त सर्वे क्रमांक 152/1/1 रकबा 0.314 हेक्टेयर भूमि रामप्रसाद आदि जाति माली के नाम से वर्तमान खसरा में दर्ज होने से मोका अनुसार रकबा छोड़कर शेष भूमि जो की तालाब नोईयत की भूमि हैं का सीमांकन किया गया। सीमांकन पश्चात शासकीय तालाब नोईयत की भूमि सर्वे क्रमांक 152 में दक्षिण दिशा की ओर एवं मालीपुरा सड़क के उत्तर दिशा की ओर अनावेदक 1. श्री गोरधनलाल पिता मथुरालाल जाति कुम्हार, 2. श्री गोपाल पिता कंवरलाल जाति माली, 3. श्री कालीबाई पति मांगीलाल, जाति अग्रवाल, 4. श्री विजय पिता भेरूलाल जाति माली, 5. श्री दिनेश पिता कन्हैयालाल जाति माली, 6. श्री ओमशंकर पिता कन्हैयालाल जादम जाति माली, 7. श्री अशोक पिता रामलाल खटिक, 8. श्री प्रेम पिता भेरूलाल जाति माली, 9. श्री अर्जुन पिता शंकरलाल जाति माली, 10. श्री पीरूलाल पिता हजारीलाल जाति माली, 11. श्री पंकज पिता गोवर्धनलाल जाति माली, 12. श्री राकेश, जयशंकर पिता जगदिशचन्द्र जाति माली के द्वारा पक्के एवं अर्द्ध पक्के मकान बने हुए हैं। उपस्थित नगर पालिका के अधिकारियों एवं उपयंत्री श्री बागडी के द्वारा उक्त मकानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होना बताया गया हैं। इस संबंध में नगर पालिका द्वारा दस्तावेज चाहे गये उनके द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये। इसी प्रकार 13 श्री रामप्रसाद पिता गेंदालाल जाति माली निवासी आगर के द्वारा रकबा 0.216 हेक्टेयर भूमि को बागड लगाकर अवैध अधिपत्य पाया गया हैं। नगर पालिका परिषद आगर द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाना हैं।

बस स्टेण्ड के पास की तलाई का सीमांकन :- सीमांकन दल द्वारा दिनांक 08.08.2020 को कस्बा छावनी स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 131 रकबा 0.585 हेक्टेयर तलाई, 134 रकबा 0.188 हेक्टेयर तलाई, सर्वे न. 132 रकबा 0.073 हेक्टेयर पाल, सर्वे न 133 रकबा 0.052 हे पाल कुल रकबा 0.898



निरन्तर-----3

//3//

हेक्टेयर भूमि का सीमांकन जरीब एवं ETSM मशीन से किया गया। कस्बा छावनी के उपलब्ध पटवारी नक्शे में सर्वे न 131 की आकृति स्पष्ट नहीं होने से नजूल भूमि का नक्शा क्लॉथ शीट में निर्मित आकृति के अनुसार सीमांकन कर आवेदित भूमि की सीमाएं चिन्हित की गयी। मौके पर नगर पालिका की ओर से सहायक राजस्व निरीक्षक चिंतामन व्यास, रामचन्द्र शिंदल, उपयंत्री श्रीमती निधि पटेल, एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सीमांकन उपरांत सर्वे न 132 एवं 133 के संयुक्त रकबे 0.125 हे पाल पर रकबा 0.031 हे पर दावल शाह वली की दरगाह के पीछे मजार नुमा एवं भवन आदि बना होकर तार फेंसिंग होकर अवैध आधिपत्य पाया गया। इसी प्रकार सर्वे न 131 एवं 134 तलाई की भूमि पर पश्चिम दिशा की ओर नगरपालिका द्वारा 45 दुकानें बनाकर निर्मित की गयी हैं। मौके पर उपस्थित उपरोक्त नगर पालिका के अमले को उक्त भूमि सर्वे नंबरों की चतुर्थसीमा का ज्ञान कराया गया एवं सीमांचिन्ह कायम करवाए गए। मौके पर नगर पालिका की ओर से उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अतिक्रमण का भी ज्ञान करवाया गया एवं चुने की लाइन डलवाकर अस्थाई निशान करवाए गए हैं। खसरा कम्प्यूटर वर्ष 2019-20 के सर्वे क्रमांक 131 के कॉ.नं. 12 में "न्या. जिलाध्यक्ष महो.शाजापुर के प्र.क्र.100/90-91 अ-59 दि.31.05.91 व श्रीमान तह.महो.आगर के पत्र क्र.री-1/04/963 दि.2.8.04 के पालन में हस्तांतरित शांपिंग कॉम्प्लेक्स हेतु नगरपालिका आगर को हस्तांतरित" का उल्लेख हैं। उपरोक्तानुसार सीमांकन कर सीमांचिन्ह एवं अतिक्रमण को चिन्हित किया जाकर नगर पालिका आगर को को बताया गया हैं।

मोतीसागर तालाब सीमांकन:- गठित सीमांकन दल द्वारा नगर पालिका आगर की ओर से उपयंत्री श्रीमती निधि पटेल, सहायक राजस्व निरीक्षक चिन्तामण व्यास एवं रामचन्द्र शिंदल व अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में दिनांक 08.08.2020 को कस्बा आगर की शाकसीय भूमि सर्वे क्रमांक 1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1907,1908,1909,1910,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923/1,1923/2,1923/3 कुल रकबा 84.812 शासकीय तालाब नगर पालिका आगर की भूमि का सीमांकन किया गया। उक्त तालाब भूमि के सीमांकन के संबंध में पूर्व में साई परिवार सामाजिक संस्था आगर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22/03/2017 अनुसार कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख जिला आगर-मालवा के आदेश पत्र क्रमांक/64/सीमांकन/2017 आगर-मालवा दिनांक 14.11.2017 एवं प्रकरण क्रमांक 11अ-12/2017-18 में श्री राजेश सरवटे अधीक्षक भू-अभिलेख की उपस्थिति में श्री श्यामलाल शर्मा, श्री त्रिलोक पाटीदार, पटवारी तहसील आगर, श्री ब्रजेन्द्रशर्मा पटवारी तहसील आगर, श्री प्रहलादसिंह भीलाला पटवारी तहसील आगर(कस्बा पटवारी) की उपस्थिति में दिनांक 15.11.2017 को सीमांकन किया गया। सीमांकन पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं

निरन्तर----4

//4//

आवेदक की ओर से देवेन्द्रवर्मा व प्रशांत भटनागर को लिखित में सूचना दी जाकर मोके पर सीमांकन के समय उपस्थित रह कर सीमांकन की कार्यवाही समक्ष में सीमा चिन्ह कायम करवाए गए थे। तत्समय सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार मोके पर टी.एस.एम. मशीन से संपूर्ण जल भराव क्षेत्र के कोर्डिनेट लिए गये। सर्वे अनुसार शासकीय तालाब के जल भराव क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 85.428 हेक्टेयर आता है। जबकि शासकीय अभिलेख अनुसार तालाब का कुल रकबा 84.812 हेक्टेयर दर्ज है। अर्थात् अभिलेख में दर्ज रकबा अनुसार तालाब का क्षेत्रफल रकबा 0.616 हेक्टेयर बेशी होता है जो संभवतः किसी निजी भूमि के रकबे को प्रभावित करता है। उक्तानुसार तालाब भूमि का सीमांकन कर मोके पर नगर पालिका के उपस्थित अधिकारी कर्मचारी को सीमाचिन्ह कायम करवाए जाकर सीमा का ज्ञान करवाया गया था।

मौके पर दिनांक 08.08.2020 को उपरोक्त सीमांकन के सीमाचिन्हों को देखा गया जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया गया है। नगर पालिका आगर के द्वारा तालाब के किनारों/घाटों का सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। अर्थात् उपरोक्तानुसार पुनः नगर पालिका के उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को सीमाचिन्हों का ज्ञान करवाया गया एवं सीमाएँ बताई गई।

उपरोक्तानुसार आवेदित रत्नसागर तालाब, बस स्टेण्ड के पास की तलाई एवं मोती सागर तालाब की निस्तार की भूमि जो नगर पालिका आगर के अधिपत्य की भूमि है। उपरोक्त तालाबों का पूर्व कई वर्षों से संधारण एवं संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। उक्त भूमि का सीमांकन कर नगर पालिका आगर को अवगत करा दिया गया है। सीमांकन कर चतुर्थसीमा नापकर बतायी गई है। मौके पर नगर पालिका आगर को अतिक्रमण आदि चिन्हित किया जाकर सीमा का ज्ञान करवा दिया गया है।

अतः श्रीमान की ओर प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।





तहसीलदार

तहसील आगर

तहसील आगर

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
17, भरतपुरी, उज्जैन दूरभाष कार्यालय-0734-2510984
ई-मेल romppcb_ujjain@yahoo.co.in

—: प्रतिवेदन :-

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्र. 134/2017 (रमेश अग्रवाल विरुद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी, आगर-मालवा एवं अन्य) में दिनांक 14.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में नगरपालिका क्षेत्र आगर-मालवा अंतर्गत स्थित तीन तालाबों में नगरीय दूषित जल के निस्सारण एवं उसके नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन ।

—00—

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्र. 134/2017 (श्री रमेशचंद्र अग्रवाल विरुद्ध मुख्य नगर पालिका अधिकारी व अन्य) जिला आगर-मालवा में नगर पालिका परिषद, आगर की सीमा अंतर्गत स्थित 03 तालाबों में दूषित जल-मल के निस्सारण एवं तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में है । याचिका द्वारा तालाबों में अतिक्रमण को हटाने एवं तालाबों के आसपास कालोनियों की अनुमति नहीं दिए जाने एवं तालाबों के दूषित जल-मल का निस्सारण रोकने की प्रार्थना की गई है ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण में दिनांक 14.07.2020 को निम्नानुसार आदेश पारित किए गए हैं :-

1. The matter of illegal encroachment and the construction on the water-bodies namely three ponds situated at District Agar city to the middle/center was raised in the issue and report was called and the Tehsildar, Agar was also directed to submit a report and appear before the Tribunal but he failed to appear and filed to submit a report.
2. Thus, we direct the Collector, Agar and Mahya Pradesh State Pollution Control Board (SPCB) to submit a factual and action taken report.
3. The report be a submitted within on month from today by E-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

माननीय अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 14.07.2020 के अनुपालन में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री डी.व्ही.एस.जाटव मुख्य रसायनज्ञ क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन द्वारा निरीक्षण किया गया है । आगर नगरपालिका क्षेत्र की सीमा एवं तालाबों की स्थिति दर्शाते हुए नक्शा संलग्नक-1 संलग्न है । जिसमें आगर स्थित तीन तालाबों, तालाब क्रमांक-1 दावलसा तलाई उज्जैन-कोटा मार्ग, तालाब क्रमांक-2 रातडिया तालाब एवं तालाब क्रमांक-3 मोती सागर तालाब की स्थिति दर्शित है ।

याचिका में आगर स्थित तीन तालाबों में दूषित जल-मल के निस्सारण होने का भी लेख किया गया है, जिसके संदर्भ में बोर्ड द्वारा किए निरीक्षण में तालाबवार वस्तुस्थिति की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. तालाब क्रमांक-1 (दावलसा मैदान तलाई)

दावलसा मैदान तलाई, बस स्टेण्ड के पास उज्जैन-कोटा मार्ग के पास स्थित है, जिसमें किसी भी प्रकार के दूषित जल का निस्सारण होना नहीं पाया गया है तथा तालाब सूखा पाया गया है। उक्त तालाब के उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम में दुकाने निर्मित हैं एवं पूर्व की दिशा में मस्जिद एवं मकान बने हुये हैं। मकानों का दूषित जल नगरपालिका की स्थानीय नाली के माध्यम से अन्यत्र निस्सारित हो रहा है। इस प्रकार दावलसा मैदान तलाई में आगर शहर का दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया।

2. तालाब क्रमांक-2 रातडिया तालाब

रातडिया तालाब को रतन सागर तालाब भी कहते हैं जो शहर के बीच में स्थित है। जिसके तीन तरफ आबादी क्षेत्र है। तालाब व आसपास की स्थिति को दर्शाते हुए गूगल मेप एवं हस्तलिखित नजरी नक्शा संलग्नक-2 एवं 3 अनुसार है।

तालाब के आसपास की कालोनियों एवं आबादी क्षेत्र का दूषित जल तालाब में पूर्व में निस्सारित होता था, जिस पर नियंत्रण हेतु नगरपालिका परिषद द्वारा कार्यवाही की जा रही है। तालाब के दक्षिण क्षेत्र की ओर स्थित मालीपुरा बस्ती की ओर से निस्सारित होने वाले दूषित जल को तालाब में मिलने से रोकने हेतु नगरपालिका द्वारा एक पक्की आर.सी.सी. की नाली का निर्माण कर बस्ती की तरफ से आने वाली नालियों से जोड़ा गया है। उक्त नाली तालाब के किनारे-किनारे बनाई गई है, जो तालाब के डाउनस्ट्रीम में शकरकुईया क्षेत्र की तरफ निकलती है। उक्त नाली का निर्माण तालाब के अपस्ट्रीम की ओर अभी पूर्ण नहीं हुआ है जिससे बस्ती ओर से आने वाली एक नाली श्री जीतमल माली के घर के सामने से होकर निकलती है जो पीछे की ओर जाकर तालाब में मिल रही है, जिसके माध्यम से बस्ती का पानी कुछ मात्रा में तालाब में मिल रहा है। उक्त नाली को भी बंद करने का कार्य चल रहा है। तालाब के किनारे-किनारे बनाई गई पक्की आर.सी.सी. नाली को श्री जीतमल माली के घर की ओर बढ़ाया जा रहा है। आर.सी.सी. नाली के निर्माण हो जाने पर बस्ती की ओर से आने वाली उक्त नाली को भी पक्की नाली से जोड़ देने पर तालाब की ओर दूषित जल का निस्सारण बंद हो जायेगा। उक्त स्थल पर कुछ अतिक्रमण बताया गया है, जिसे मुक्त कराकर नाली का निर्माण किया जाना है जिस पर कार्यवाही नगरपालिका परिषद द्वारा की जा रही है।

तालाब के उत्तर क्षेत्र में छावनी क्षेत्र की ओर से अभी भी दूषित जल तालाब में कुछ मात्रा में मिल रहा है जिसे रोकने हेतु अभी नगरपालिका परिषद को शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करने हेतु कहा गया है ।

तालाब के पानी की गुणवत्ता जांच की गई है, विश्लेषण रिपोर्ट संलग्नक-4 अनुसार है । विश्लेषण रिपोर्ट अनुसार तालाब के पानी में बी.ओ.डी. की मात्रा 3.8 मि. ली./ग्राम पाई गई है जिससे स्पष्ट है कि तालाब में घरेलू दूषित जल मिल रहा है एवं तालाब के पानी की गुणवत्ता सतही जल स्रोत के लिए निर्धारित भारतीय मानक आई.एस. 2296-1982 के अनुसार "डी" श्रेणी की है ।

3. तालाब क्रमांक-03 (मोतीसागर तालाब)

मोतीसागर तालाब आगर में किसी प्रकार के दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया है । तालाब के दक्षिण एवं उत्तर-पूर्व की ओर आबादी क्षेत्र से उत्पन्न घरेलू दूषित जल का निस्सारण एक पक्के नाले के माध्यम से होता है , जिसका आउटलेट कस्माघाटी की ओर है । तालाब में नालियां मिलती हुई नहीं पाई गई है जिससे स्पष्ट है कि दूषित जल का निस्सारण तालाब में नहीं होता है ।

क्षेत्रीय कार्यालय, स.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन द्वारा मोतीसागर तालाब के तीन बिन्दुओं पर पानी की गुणवत्ता जांच की गई है, विश्लेषण रिपोर्ट संलग्नक-5,6 व 7 अनुसार है । विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार मोतीसागर तालाब का पानी सामान्य एवं नहाने योग्य पाया गया है । पानी की गुणवत्ता सतही जल स्रोत के लिये निर्धारित भारतीय मानक आई.एस. 2296-1982 की "बी" श्रेणी के तहत है ।

आगर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू दूषित जल के उपचार एवं डिस्पोजल हेतु की गई कार्यवाही :-

1. नगर पालिका परिषद आगर द्वारा शहरी दूषित जल के उपचार एवं डिस्पोजल हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं किया गया है जिससे शहरी दूषित जल स्थानीय नालियों के माध्यम से तालाब एवं निचले क्षेत्रों में जमा होता है । बोर्ड द्वारा नगरपालिका परिषद को तालाब में दूषित जल के निस्सारण रोकने हेतु पत्र क्रमांक-455 दिनांक 04.07.2020 एवं पत्र क्रमांक-868 दिनांक 04.08.2020 द्वारा सूचना पत्र भेजे गये हैं, पत्रों की प्रतियां संलग्नक-8 एवं 9 अनुसार है ।
2. नगरपालिका परिषद आगर द्वारा शकरकुईया आउटलेट स्थल पर रातडिया तालाब सोनर्द्रयीकरण योजना अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 500 कि.ली./दिन लागत रुपये 56 लाख प्रस्तावित की है। योजना शासन से स्वीकृत होकर प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,

उज्जैन को प्रेषित की गई है । इस संबंध में नगरपालिका आगर से प्राप्त जानकारी पत्र क्रमांक-1826 दिनांक 31/07/2020 की प्रति संलग्न है, जो संलग्नक-10 अनुसार है ।

निष्कर्ष :-

1. वर्तमान में तालाब क्रमांक-1 दावलसा मैदान तलई उज्जैन-कोटा मार्ग आगर एवं तालाब क्रमांक-3 मोतीसागर तालाब में दूषित जल का निस्सारण नहीं हो रहा है ।
2. तालाब क्रमांक-2 रातडिया तालाब (रतन सागर तालाब) में मालीपुरा बस्ती की ओर से एवं तालाब के उत्तर क्षेत्र में छावनी की ओर से दूषित जल का निस्सारण पाया गया है जिसके रोकने हेतु नगरपालिका परिषद द्वारा कार्यवाही की जा रही है । मालीपुरा बस्ती की ओर पक्की नाली बनाकर दूषित जल को तालाब में मिलने से रोका गया है जिससे तालाब का आउटलेट शकरकुईया की ओर होकर सारंगपुर रोड की ओर मिल रहा है ।
3. नगरपालिका परिषद आगर द्वारा रातडिया तालाब में दूषित जल-मल निस्सारण रोकने एवं दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के संबंध में रातडिया सोन्द्ध्यीकरण योजना अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है ।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगरपालिका परिषद को पत्र क्रमांक-455 दिनांक 04.07.2020 एवं पत्र क्रं. 868 दिनांक 04.08.2020 द्वारा नगरपालिका क्षेत्र आगर के दूषित जल के उपचार एवं डिस्पोजल व्यवस्था स्थापित करने एवं तालाबों में दूषित जल न मिले सुनिश्चित करने हेतु सूचना-पत्र भेजे गये हैं, जिनकी छायाप्रतियां अवलोकन हेतु संलग्नक-8 एवं 9 अनुसार संलग्न है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(डी.व्ही.एस.जाटव)

मुख्य रसायन,

क्षेत्रीय कार्यालय,

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन



(एस.एन.द्विवेदी)

क्षेत्रीय अधिकारी,


म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उज्जैन

सिमा-1


75°59'E 76°00'E 76°10'E 76°20'E 76°30'E

23°41'0"N 23°42'0"N 23°43'0"N 23°44'0"N



संकेत

PLANNING AREA		निर्देश क्षेत्र
VILLAGE BOUNDARY		ग्राम
MUNICIPAL BOUNDARY		नगरपालिका सीमा
ROADS		मार्ग
WATERBODY		जलाशय



सुरक्षा सर्वेक्षण उपयोग केन्द्र,
 सर्वेक्षण एवं प्रौद्योगिकी परिषद
 विज्ञान भवन, मोपाल

75°59'E 76°00'E 76°10'E 76°20'E 76°30'E





Figure - 2



12

Plan-3

TO
Charwanj

ROAD

Proposed
STP



Water
Supply

K18, B110112, P10113

2112 W12
2112 W12

B.T. Road

K18
B110112, P10113



रामेश्वर-4

Report No. 285/20

TEST REPORT

Sample from :- रातड़िया तालाब , आगर
Description of Sample :- Pond Water
Reference :- As per Monitoring Package 2019-20 / Payment Basis/Complaint
Sampling Method :- APHA, 23rd Edition, 1060

Date of Collection	31-07-20	Sample Volume- 2 Litre			
Date of Receipt	31-07-20	Plastic bottle 2 litre marked " 1 "			
Start of Analysis	31-07-20	Collected by :- D.V.S. Jatav, Chief Chemist			
Date of Completion of Analysis	07-08-20	Analysed by :- Mr. Devendra Solanki, Chemist			
Observation					
S.No.	Parameters	Unit	Test Method	Range of testing	Result
1	*Colour	Pt.Co.Sc.	APHA 23rd edi. 2017, Standard Method	--	Colourless
2	*Odour	--	--	--	Odourless
3	pH	pH Units	APHA 23rd edi. 2017, Electrometric Method 4500-H+B,	1 to 14 pH Unit	7.86
4	Specific Conductance	micromho/cm	APHA 23rd edi. 2017, By Conductivity Meter 2510-B	1 to 20000 micromho/cm	749
5	Turbidity	N.T.U.	APHA 23rd edi. 2017, Nephelometric Method 2130-B	1 to 1000 NTU	8.6
6	Chloride as Cl ⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Argentometric Method 4500-Cl-B	5 to 50000 mg/l	154
7	Total Alkalinity as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Titrimetric Method 2320-B	10 to 1000 mg/l	144
8	Total Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, EDTA Titrimetric Method 2340-C	10 to 5000 mg/l	196
9	Calcium Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, EDTA Titrimetric Method 3500-Ca-B	5 to 5000 mg/l	164
10	Magnesium Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Calculation Method 2340-B	5 to 5000 mg/l	32
11	Total Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 B	10 to 100000 mg/l	538
12	Suspended Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 D	5 to 1000 mg/l	12
13	Total Dissolved Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 C	10 to 100000 mg/l	526
14	B.O.D.(3 Days 27°C)	mg/l	IS 3025, P-44, 1993 (3-Day B.O.D. Test)	1 to 50000 mg/l	3.8
15	Chemical Oxygen Demand	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Open Reflux Method 5220-B	5 to 100000 mg/l	20
16	Ammonical Nitrogen as NH ₃ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Phenate Method 4500-NH3F	0.1 to 200 mg/l	0.946
17	Nitrite as NO ₂ ⁻ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Colorimetric Method 4500-NO2-B	0.002 to 5 mg/l	0.062
18	Nitrate as NO ₃ ⁻ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, UV Spectrometer Method 4500-NO3-B	0.1 to 100 mg/l	0.84
19	Phosphate as PO ₄ ³⁻ -P	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Method 4500-PD-Stannous Chloride	0.1 to 20 mg/l	0.26
20	Sulphate as SO ₄ ²⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Turbidimetric Method 4500-E	1 to 5000 mg/l	14.2
21	Sodium as Na	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Flame photometer Method 3500-Na-B	5 to 1000 mg/l	48
22	Potassium as K	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Flame photometer Method 3500-K-B	1 to 200 mg/l	1
INDICATION : □ PARAMETER DOES NOT CONFIRM TO-			Note:-		
1	Standards prescribed by M.P.P.C.B. in M.P. Gazette notification, dated 25-03-1988.	(1) The report shall not be reproduced except in full, without permission of Regional Laboratory, M.P. Pollution Control Board, Ujjain			
2	Standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986.	(2) No Statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.			
3	The Tests mark with an * are not accredited by NABL.	(3) The result relate only to the sample tested.			
			(4) Sample received in sealed condition.		


(Senior Scientific Officer)

8 (15)
हरियाणा - 5

REGIONAL LABORATORY
M. P. POLLUTION CONTROL BOARD
17, BHARAT PURI, UJJAIN-456001
(Permanent Facility)

Phone -0734-2525281, 2510984 FAX-0734-2510984
E-mail- rlmppcbujjain@gmail.com

Report No. 84/20

TEST REPORT

Sample from :- Moti Talab (near Hanuman Ghat, Shamsan Ghat) Agar
Description of Sample :- Pond Water near Hanuman Ghat (Shamsan Ghat) Agar
Reference :- As per Monitoring Package 2019-20 / Payment Basis/Complaint
Sampling Method :- APHA, 23rd Edition, 1060

Date of Collection	15-06-20	Sample Volume- 2 Litre
Date of Receipt	16-06-20	Plastic bottle 2 litre marked " 1 "
Start of Analysis	16-06-20	Collected by :- Mr. H. S. Sharma, Jr. Scientist & Mr. M.L. Pathak, Sampler
Date of Completion of Analysis	22-06-20	Analysed by :- Mr. R. D. Wagh, Jr. Scientist

Observation

S.No.	Parameters	Unit	Test Method	Range of testing	Result
1	*Colour	Pt.Co.Sc.	APHA 23rd edi. 2017, Standard Method	--	Colourless
2	*Odour				Odourless
3	pH	pH Units	APHA 23rd edi. 2017, Electrometric Method 4500-H+B,	1 to 14 pH Unit	8.5
4	Specific Conductance	micromho/cm	APHA 23rd edi. 2017, By Conductivity Meter 2510-B	1 to 20000 micromho/cm	384
5	Turbidity	N.T.U.	APHA 23rd edi. 2017, Nephelometric Method 2130-B	1 to 1000 NTU	1.2
6	Chloride as Cl ⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Argentometric Method 4500-Cl--B	5 to 50000 mg/l	310
7	Total Alkalinity as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Titrimetric Method 2320-B	10 to 1000 mg/l	380
8	Total Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, EDTA Titrimetric Method 2340-C	10 to 5000 mg/l	510
9	Calcium Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, EDTA Titrimetric Method 3500-Ca-B	5 to 5000 mg/l	230
10	Magnesium Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Calculation Method 2340-B	5 to 5000 mg/l	280
11	Dissolved Oxygen	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Azide Modification 4500-OC	1 to 10 mg/l	7.6
12	Total Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 B	10 to 100000 mg/l	292
13	Suspended Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 D	5 to 1000 mg/l	10
14	Total Dissolved Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 C	10 to 100000 mg/l	282
15	B.O.D. (3 Days 27°C)	mg/l	IS 3025, P-44, 1993 (3-Day B.O.D. Test)	1 to 50000 mg/l	2.8
16	Chemical Oxygen Demand	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Open Reflux Method 5220-B	5 to 100000 mg/l	14
17	Ammonical Nitrogen as NH ₃ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Phenate Method 4500-NH3F	0.1 to 200 mg/l	ND
18	Nitrite as NO ₂ ⁻ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Colorimetric Method 4500-NO2-B	0.002 to 5 mg/l	0.094
19	Nitrate as NO ₃ ⁻ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, UV Spectrometer Method 4500-NO3-B	0.1 to 100 mg/l	0.86
20	Phosphate as PO ₄ ³⁻ -P	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Method 4500-PD-Stannous Chloride	0.1 to 10 mg/l	0.028
21	Sulphate as SO ₄ ²⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Turbidimetric Method 4500-E	1 to 5000 mg/l	12.8
22	Sodium as Na	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Flame photometer Method 3500-Na-B	5 to 1000 mg/l	10
23	Potassium as K	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Flame photometer Method 3500-K-B	1 to 200 mg/l	1.8

INDICATION : □ PARAMETER DOES NOT CONFIRM TO-

1	Standards prescribed by M.P.P.C.B. in M.P. Gazette notification, dated 25-03-1988.
2	Standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986.
3	The Tests mark with an * are not accredited by NABL.

Note:-

- (1) The report shall not be reproduced except in full, without permission of Regional Laboratory, M.P. Pollution Control Board, Ujjain
- (2) No Statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.
- (3) The result relate only to the sample tested.
- (4) Sample received in sealed condition.

ND- Not Detected BDL- Below Detectable Limit

(Dr. Shobha Dhanekar)
Senior Scientific Officer

(9) (16)
एचएचएच - 6

REGIONAL LABORATORY
M. P. POLLUTION CONTROL BOARD
17, BHARAT PURI, UJJAIN-456001

(Permanent Facility)
 Phone -0734-2525281, 2510984 FAX-0734-2510984
 E-mail-rlmppcbujain@gmail.com

Report No. 85/20

TEST REPORT

Sample from :- **Moti Talab (Bheru Maharaj Mandir, Mahudi Ghat) , Agar**
 Description of Sample :- **Pond Water near Bheru Maharaj Mandir (Mahudi Ghat) Agar**
 Reference :- **As per Monitoring Package 2019-20 / Payment Basis/Complaint**
 Sampling Method :- **APHA, 23rd Edition, 1060**

Date of Collection	15-06-20	Sample Volume- 2 Litre			
Date of Receipt	16-06-20	Plastic bottle 2 litre marked " 2 "			
Start of Analysis	16-06-20	Collected by :- Mr. H. S. Sharma, Jr. Scientist & Mr. M.L. Pathak, Sampler			
Date of Completion of Analysis	22-06-20	Analysed by :- Mr. R. D. Wagh, Jr. Scientist			
Observation					
S.No.	Parameters	Unit	Test Method	Range of testing	Result
1	*Colour	Pt.Co.Sc.	APHA 23rd edi. 2017, Standard Method	--	Colourless
2	*Odour	--	--	--	Odourless
3	pH	pH Units	APHA 23rd edi. 2017, Electrometric Method 4500-H+B,	1 to 14 pH Unit	8.3
4	Specific Conductance	micromho/cm	APHA 23rd edi. 2017, By Conductivity Meter 2510-B	1 to 20000 micromho/cm	483
5	Turbidity	N.T.U.	APHA 23rd edi. 2017, Nephelometric Method 2130-B	1 to 1000 NTU	1
6	Chloride as Cl ⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Argentometric Method 4500-Cl-B	5 to 50000 mg/l	260
7	Total Alkalinity as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Titrimetric Method 2320-B	10 to 1000 mg/l	210
8	Total Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, EDTA Titrimetric Method 2340-C	10 to 5000 mg/l	430
9	Calcium Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, EDTA Titrimetric Method 3500-Ca-B	5 to 5000 mg/l	250
10	Magnesium Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Calculation Method 2340-B	5 to 5000 mg/l	180
11	Dissolved Oxygen	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Azide Modification 4500-OC	1 to 10 mg/l	7
12	Total Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 B	10 to 100000 mg/l	216
13	Suspended Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 D	5 to 1000 mg/l	8
14	Total Dissolved Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 C	10 to 100000 mg/l	208
15	B.O.D.(3 Days 27°C)	mg/l	IS 3025,P-44, 1993 (3-Day B.O.D. Test)	to 50000 mg/l	3
16	Chemical Oxygen Demand	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Open Reflux Method 5220-B	5 to 100000 mg/l	16
17	Ammonical Nitrogen as NH ₃ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Phenate Method 4500-NH3F	0.1 to 200 mg/l	ND
18	Nitrite as NO ₂ ⁻ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Colorimetric Method 4500-NO2-B	0.002 to 5 mg/l	0.029
19	Nitrate as NO ₃ ⁻ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, UV Spectrometer Method 4500-NO3-B	0.1 to 100 mg/l	0.69
20	Phosphate as PO ₄ ³⁻ -P	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Method 4500-PD-Stannous Chloride	0.1 to 20 mg/l	BDL
21	Sulphate as SO ₄ ²⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Turbidimetric Method 4500-E	1 to 5000 mg/l	10
22	Sodium as Na	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Flame photometer Method 3500-Na-B	5 to 1000 mg/l	9
23	Potassium as K	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Flame photometer Method 3500-K-B	1 to 200 mg/l	0.8
INDICATION : □ PARAMETER DOES NOT CONFIRM TO-			Note:-		
1	Standards prescribed by M.P.P.C.B. in M.P. Gazette notification, dated 25-03-1988.	(1) The report shall not be reproduced except in full, without permission of Regional Laboratory, M.P. Pollution Control Board, Ujjain			
2	Standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986.	(2) No Statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.			
3	The Tests mark with an * are not accredited by NABL.	(3) The result relate only to the sample tested.			
ND- Not Detected , BDL- Below Detectable Limit			(4) Sample received in sealed condition.		

(Dr. Shobha Dhanekar)
 Senior Scientific Officer

10 17

21/06/20 - 7

REGIONAL LABORATORY
M. P. POLLUTION CONTROL BOARD
17, BHARAT PURI, UJJAIN-456001
(Permanent Facility)
 Phone -0734-2525281,2510984 FAX-0734-2510984
 E-mail- rlmppcbujain@gmail.com

Report No. 10/20

TEST REPORT

Sample from :- Moti Talab (Achleshwar Mahadev Mandir, Kamal Kundi Ghat), Agar
 Description of Sample :- Pond Water near Achleshwar Mahadev Mandir (Kamal Kundi Ghat) Agar
 Reference :- As per Monitoring Package 2019-20 / Payment Basis/Complaint
 Sampling Method :- APHA, 23rd Edition, 1060

Date of Collection	15-06-20	Sample Volume- 2 Litre
Date of Receipt	16-06-20	Plastic bottle 2 litre marked " 3 "
Start of Analysis	16-06-20	Collected by :- Mr. H. S. Sharma, Jr. Scientist & Mr. M.L. Pathak, Sampler
Date of Completion of Analysis	22-06-20	Analysed by :- Mr. R. D. Wagh, Jr. Scientist

S.No.	Parameters	Unit	Test Method	Range of testing	Result
1	*Colour	Pt.Co.Sc.	APHA 23rd edi. 2017, Standard Method	--	Colourless
2	*Odour	--	--	--	Odourless
3	pH	pH Units	APHA 23rd edi. 2017, Electrometric Method 4500-H+B.	1 to 14 pH Unit	8.3
4	Specific Conductance	micromho/cm	APHA 23rd edi. 2017, By Conductivity Meter 2510-B.	1 to 20000 micromho/cm	280
5	Turbidity	N.T.U.	APHA 23rd edi. 2017, Nephelometric Method 2130-B	1 to 1000 NTU	1.4
6	Chloride as Cl ⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Argentometric Method 4500-Cl-B	5 to 50000 mg/l	250
7	Total Alkalinity as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Titrimetric Method 2320-B	10 to 1000 mg/l	220
8	Total Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, EDTA Titrimetric Method 2340-C	10 to 5000 mg/l	450
9	Calcium Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, EDTA Titrimetric Method 3500-Ca-B	5 to 5000 mg/l	200
10	Magnesium Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Calculation Method 2340-B	5 to 5000 mg/l	250
11	Dissolved Oxygen	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Azide Modification 4500-OC	1 to 10 mg/l	6
12	Total Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 B	10 to 100000 mg/l	210
13	Suspended Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 D	5 to 1000 mg/l	6
14	Total Dissolved Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 C	10 to 100000 mg/l	204
15	B.O.D. (3 Days 27°C)	mg/l	IS 3025,P-44, 1993 (3-Day B.O.D Test)	1 to 50000 mg/l	2.9
16	Chemical Oxygen Demand	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Open Reflux Method 5220-B	5 to 100000 mg/l	18
17	Ammonical Nitrogen as NH ₃ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Phenate Method 4500-NH3F	0.1 to 200 mg/l	ND
18	Nitrite as NO ₂ ⁻ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Colorimetric Method 4500-NO2-B	0.002 to 5 mg/l	0.019
19	Nitrate as NO ₃ ⁻ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, UV Spectrometer Method 4500-NO3-B	0.1 to 100 mg/l	0.069
20	Phosphate as PO ₄ ³⁻ -P	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Method 4500-PD-Stannous Chloride	0.1 to 20 mg/l	BDL
21	Sulphate as SO ₄ ²⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Turbidimetric Method 4500-F	1 to 5000 mg/l	10
22	Sodium as Na	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Flame photometer Method 3500-Na-B	5 to 1000 mg/l	18
23	Potassium as K	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Flame photometer Method 3500-K-B	1 to 200 mg/l	1.9

INDICATION : <input type="checkbox"/> PARAMETER DOES NOT CONFIRM TO-		Note:-
1	Standards prescribed by M.P.P.C.B. in M.P. Gazette notification, dated 25-03-1988.	(1) The report shall not be reproduced except in full, without permission of Regional Laboratory M.P. Pollution Control Board, Ujjain
2	Standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986.	(2) No Statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.
3	The Tests mark with an * are not accredited by NABL.	(3) The result relate only to the sample tested.
ND- Not Detected, BDL- Below Detectable Limit		(4) Sample received in sealed condition.

(Dr. Shobha Dhanekar)
 Senior Scientific Officer

Dr

तलनांक-8

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
17, भरतपुरी, उज्जैन दूरभाष कार्यालय-0734-2510984
ई-मेल romppcb_ujjain@yahoo.co.in

क्रमांक 455 / प्रनिबो / क्षेत्राउ / 2020

उज्जैन, दिनांक

4 JUNE 2020

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आगर, जिला आगर मालवा

विषय :- मोती सागर तालाब में मछलियों के मरने के संबंध में प्राप्त शिकायत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डॉ. विश्वास चौहान एफ-90/47 तुलसी नगर भोपाल द्वारा मोती सागर में मछलियों के मरने की शिकायत की गई है जिसकी प्रति संलग्न है । इस संबंध में इस कार्यालय के द्वारा दिनांक 15.06.2020 को निरीक्षण कराया गया है । निरीक्षण के दौरान नगर पालिका परिषद आगर के स्वास्थ्य निरीक्षक श्री चिंतामणि व्यास साथ में थे । निरीक्षण में मछलियां मृत पाई गई है जिन्हें परसुखेडी तालाब से मोती सागर तालाब में शिफ्ट करने के दौरान मृत होना बताया गया है । अतः शिकायत के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि तालाब में किसी प्रकार का दूषित जल अथवा सीवेज न मिले जिससे मछलियों के मरने की पुनरावृत्ति न हो ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन
17, भरतपुरी, उज्जैन, दूरभाष व फैक्स 0734-2510984
ई-मेल romppcb_ujjain@yahoo.co.in

दिनांक 17/5-9

19

क्रमांक- 868 / प्रनिबो / क्षेकाउ / 2020 /

उज्जैन, दिनांक 4 / 8 / 2020

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
आगर (म.प्र.)


- विषय :- घरेलू दूषित जल-मल के नालों का निस्सारण प्राकृतिक जल स्रोतों में मिलने से रोकने हेतु कार्यवाही करने विषयक।
- सन्दर्भ :- (1) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली बेंच के प्रकरण क्रमांक 134/2017
(2) इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.07.2020 को किया गया निरीक्षण
(3) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 455 दिनांक 04.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 17, भरतपुरी, उज्जैन द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि :-

1. यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत किया गया है। बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों को लागू कराने के उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं।
2. यह कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील है।
3. यह कि, आपकी नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू दूषित जल-मल के उपचार हेतु सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में बिना उपचार के घरेलू दूषित जल-मल को अनेक नालों के माध्यम से प्राकृतिक जल स्रोतों एवं अन्य जगहों पर निस्सारित हो रहा है।
4. यह कि, अनउपचारित घरेलू दूषित जल-मल के प्राकृतिक स्रोतों में (रातडिया तालाब) मिलने के कारण उसकी जल गुणवत्ता खराब हो रही है, जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
5. यह कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 134/2017 जो आगर शहर के दावलसा मैदान तलाई, उज्जैन-कोटा मार्ग, रातडिया तालाब एवं मोती सागर तालाब के प्रदूषण एवं अवैध अतिक्रमण से संबंधित है, एवं माननीय अधिकरण के समक्ष प्रचलित है।

- 6. यह कि, डॉ. विश्वास चौहान, निवासी-एफ-90/74, तुलसी नगर, भोपाल द्वारा ई-मेल से दिनांक 17.06.2020 को मोती सागर तालाब में मछली मरने की शिकायत की गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 455 दिनांक 04.07.2020 द्वारा आपको निर्देशित किया गया है कि दूषित जल का प्राकृतिक जल स्रोतों में न मिलना सुनिश्चित करें।
- 7. यह कि, इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर आपको पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि शहर का घरेलू दूषित जल-मल के उपचार हेतु उपचार संयंत्र की स्थापना करें। घरेलू दूषित जल किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में न मिलें, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।
- 8. यह कि, दिनांक 31.07.2020 को निरीक्षण दौरान रातडिया तालाब में घरेलू दूषित जल मल के दो नालें (1) जीतमल माली के घर के सामने दूषित नाली का घरेलू दूषित जल (2) छावनी क्षेत्र के कुंछ घरों का पानी नाली के माध्यम से रातडिया तालाब में मिलते हुये पाया गया। निरीक्षण के समय नालें एवं रातडिया तालाब का जल नमूना एकत्रित किया गया था। प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट अनुसार में दूषित जल मिलता पाया गया, जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

इस पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया जाता है घरेलू दूषित जल-मल के उपचार हेतु उपचार संयंत्र की स्थापना व संचालन सुनिश्चित किया जावे व सुनिश्चित करे कि शहर का घरेलू दूषित जल-मल तालाबों एवं प्राकृतिक जल स्रोतों में नहीं मिलें। अन्यथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों के उल्लंघन के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। कृपया उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपका उत्तर भी 15 दिवस में भेजने का कष्ट करे।


 (एस.एन.द्विवेदी)
 क्षेत्रीय अधिकारी


कार्यालय नगर पालिका परिषद् आगर जिला आगर मालवा म0प्र0

क्रमांक / निर्माण / 2020 / 1826

आगर दिनांक 31.07.20

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड

उज्जैन

विषय :- माननीय राष्ट्रिय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 134/2017 के संबंध में की जानकारी।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 813 दिनांक 29.07.20।

विषयान्तर्गत एवं संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध अद्यतन इस्थि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	याचिकाकर्ता के शिकायत के बिंदु	निरीक्षण द्वारा पायी गया स्थिति
1	<p>यह की प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार दाबल सा मैदान तलाई उज्जैन कोटा मार्ग के पास मानचित्र अनुसार क्रमांक 1 प्रदान किया गया है वो नगर पालिका आगर द्वारा विलुप्त करने का सुनियोजित प्रक्रिया अपनाई जा रही है धीरे धीरे इस क्षेत्र में स्थाई निर्माण कर अत्यधिक दुकानों का निर्माण कर दिया इस तालाब के राजस्व दस्तावेजों में क्षेत्रफल अंकित है तथा तालाब चिन्हीत है। तत्कालीन आगर मालवा जब शाजापुर जिला सीमा में आता था उस समय मतस्य विभाग द्वारा मछलियों की प्रजनन प्रक्रिया व बच्चों की परिवरिश कर अन्य जलाशय में छोड़ता था। अतः महोदय, से निवेदन है कि मानचित्र में क्रमांक 1 के तालाब के जल भराव क्षेत्र से 60 मीटर दूरी तक के निर्माण को हटवाने के आदेश प्रदान कर तालाब को सुरक्षित करने के आदेश प्रदान करें।</p>	<p>निरीक्षण के समय मौका स्थल पर सूखी तलई पायी गई जिसमें मवेशी चरते हुये पाये गये उक्त तलई के उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम में दुकाने निर्मित हैं एवं पूर्व दिशा तार फेन्सिंग की गई है। जलप्रदूषण की स्थिति नहीं है। अन्य जानकारी जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित है। जिसके सम्बन्ध कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।</p>
2	<p>यह कि तालाब आगर नगर के बीचो बीच है। तथा प्राचीन समय से पेयजल के प्राकृतिक स्त्री कुओं का जल स्तर बढ़ाने को निरंतर पीने के पानी 12 माह तक समस्या नहीं करने का प्रमुख स्रोत है। जिसको वर्तमान नगर पालिका आगर द्वारा जलमल का एक विशाल भंडारण के रूप में परिणित कर दिया इस जलाशय में चारों दिशा से छ : ओर से डायरेक्टर नगर पालिका आगर जलमल प्रवाह निरंतर कर रही है। इस जलाशय को रातडिया तालाब के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों से नगर पालिका जलमल प्रवाह करती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जिला अस्पताल आगर पुराना बस स्टैण्ड घोसीपुरा माधवगंज आगर मालीपुरा 2. हाटपुरा आगर, मुल्तानी मोहल्ला, मालीपुरा मालीपुरा 3. नाना बाजार कसाईबाड़ा, छावनी दरवाजा। 4. आनंद टाकीज छावनी मोदी खाना सदर मार्केट मोहल्ला छावनी खण्डेलवाल कुँआ रोड, राजीव गॉंधी कालोनी छावनी। 5. छावनी मस्जिदक्षेत्र झोपड़ पट्टी आवासीय जलमल पूर्णरूपेण इस तालाब में प्रवाह किया जा स्मरण रहे यह नदी नहीं तालाब है। जो एक संग्रहित संग्रहित जल क्षेत्र माधार पर नगर प्रशासन द्वारा जनमन संग्रहित कर आसपास ववासीय प्रदूषित किया जा रहा है जो आपराधिक कृत्य है। 	<p>निरीक्षण के समय मौके पर मुख्यमंत्री अधोसंरचना अन्तर्गत 1400 मी0 106.81 लाख लागत का आर.सी.सी के नाले का कार्य मौके पर प्रगतिरत है। वर्तमान में जीतमल माली के घर के सामने दूषित नाले का पानी तालाब में मिल रहा है। सम्पूर्ण तालाब के चारों ओर का सम्पूर्ण दूषित पानी प्रचलित आर.सी.सी नाले में निकल कर उसका आउटलेट शककर कुइया की ओर होकर सारंगपुर रोड पर मिल रहा है। शककर कुइया आउटलेट स्थल पर रातडिया तालाब सौन्दर्यीकरण योजना (340 लाख) अन्तर्गत MBBR STP SEWERAGE TREATMENT PLANT 500 KLD(56.00 Lakh) का प्रस्तावित है। योजना शासन से स्वीकृत होकर प्राशसकीय एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यपालन यंत्री महोदय उज्जैन को प्रेषित की गई है। उपरोक्तानुसार केवल एक ही नाले का पानी तालाब में मिल रहा है दूषित पानी को प्रचलित आर. सी.सी नाले में मिलाकर एक सप्ताह में निर्माण पूर्ण कर लिया जायेगा। अन्य जानकारी जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित है। जिसके सम्बन्ध कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।</p>

मोतीसागर तालाब

यह किं आगर नगर कि अनमाल धरोहर है। प्राकृतिक रूप से मानवीय श्रम द्वारा निर्मित यह तालाब इस नगर को पूर्ण रूप से उपयोगी तालाब बिना किसी प्रदूषण के आदिकाल से उपयोग करते आ रहे हैं। किन्तु शासन की गलत नीतियों के द्वारा तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा इस तालाब के केचमेन्ट एरिया में कालोनी की स्वीकृतियां तथा स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण अवैध कलोनियों का निर्माण कर दिया गया है। भविष्य में मैं मोती सागर तालाब के केचमेन्ट एरिये की मुक्त कर इस क्षेत्र को आवासीय कालोनी के विकास अनुमति नही प्रदान की जाये जो की गई है उसकी जाँच कर निरस्त की जाये।

निरीक्षण के समय तालाब में किसी भी प्रकार का दूषित पानी मिलता हुआ नहीं पाया गया दक्षिण एवं उत्तर पूर्व की ओर आबादी क्षेत्र से उत्पन्न घरेलू दूषित जल का निसारण पक्के नाले में होता है एवं नाले का आउटलेट कसमा घाटी की ओर है। जलप्रदूषण की स्थिति नहीं है। अन्य जानकारी जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित है। जिसके सम्बन्ध कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

नोट :- एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पृथक से प्रस्तुत की जावेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् आगर मा.ल.वा.

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषय:-दिनांक 04.03.2020 को तालाब संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण योजनाओं की स्वीकृति हेतु सम्पन्न स्थायी वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण।

झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं विकास योजना के अन्तर्गत 02 नगरीय निकाय नगर निगम छिन्दवाड़ा एवं नगरपालिका आगर की तालाब संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य की योजनाओं में अनुदान स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 04.03.20 को मंत्रालय एनएक्ससी क्रमांक-02 में द्वितीय तल पर स्थित नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सभाकक्ष में स्थायी वित्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

1. श्री पी.नरहरि, आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.।
2. श्रीमती प्राची बोहरे जोशी, सहायक सलाहकार, राज्य योजना आयोग।
3. श्री सुरेश सेजकर, प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास।

बैठक में झील तालाब संरक्षण की योजनाओं का प्रस्तुतीकरण कर योजनाओं की डीपीआर पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दोनों योजनाओं के संबंध में समिति को अवगत कराया गया। परीक्षण उपरान्त निम्नलिखित नगरीय निकाय की झील एवं तालाब संरक्षण योजना को स्थायी वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

क्र.	निकाय का नाम	कार्यस्थल	परियोजना लागत	परीक्षण उपरान्त स्वीकृति योग्य राशि	राज्यांश	निकाय अंश
2	नगर पालिका आगर	राठिया तालाब	340.00	340.00	255.00	85.00

उपरोक्त योजना की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई :-

- i. निकाय द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPR) की जाँच गंभीरता से की जाकर नियमानुसार तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की जाये।
- ii. निकाय द्वारा प्रस्तावित झील संरक्षण योजना में निकाय अंशदान की राशि के लिए ऋण लिया जाता है तो उसका पुर्नभुगतान निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
- iii. योजना हेतु एक पृथक बैंक खाता खोलकर राशि उसमें रखी जायेगी। योजना हेतु प्रदान की गई राशि का उपयोग योजना के कार्य पर ही किया जायेगा। खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होगा।
- iv. निकाय द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की स्थिति में निकाय को प्रदान की गई अनुदान राशि का एक अंश, ऋण में परिवर्तित किया जा सकेगा, जो शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

- 2 नगर निगम छिन्दवाड़ा की झील संरक्षण कार्ययोजना के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा अभी इस कार्ययोजना पर निर्णय नहीं लिया गया है।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(सुरेश सिंजौर)
प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र.भोपाल

(श्रीमती प्राची, बाहरे जोशी)
सहायक सलाहकार
राज्य योजना आयोग
मध्यप्रदेश

(सी.नरहरि)
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र.भोपाल

(संजय दुबे)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक / यां.प्र. / 07 / 2020 / 4067
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17-3-2020

1. सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय भोपाल
2. सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
विन्धाचल भवन, भोपाल

विषय:- झीलों तथा तालाबों का संरक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत नगरीय निकाय की योजना के लिए अनुदान स्वीकृति हेतु सम्पन्न स्थायी वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण।

झीलों तथा तालाबों का संरक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत नगरीय निकाय की योजना के लिए अनुदान स्वीकृति हेतु सम्पन्न स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 04.03.2020 का कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित है।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(सुरेश सेजकर)
प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / यां.प्र. / 07 / 2020 / 4068
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17-3-2020

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र...../यां.प्र./7/झीलों एवं तालाब/2020/

भोपाल, दिनांक-

-आदेश-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में झीलों एवं तालाबों के संरक्षण योजनान्तर्गत राठिया तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु नगर पालिका, आगर (जिला- आगर मालवा) को राज्यांश राशि रु. 116.56 लाख (रु. एक करोड़ सोलह लाख छप्पन हजार मात्र) के आहरण कर भुगतान करने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि कोषालय स्तर से ई-ट्रांसफर से नगर पालिका, आगर के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

- उक्त राशि "मांग संख्या-22-2217-05-800-0101-7357-व्ही-44-008 के अंतर्गत प्राप्त आवंटन के विरुद्ध विकलनीय होगी।
- स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग- 1 के नियम 182 के अनुसार मध्यप्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम ग्वालियर को भेजकर संचालनालय को सूचित करेंगे।
- उक्त राशि का उपयोग निकाय द्वारा झीलों एवं तालाब संरक्षण योजनान्तर्गत स्वीकृत राठिया तालाब के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु किया जाये।

(आयुक्त द्वारा स्वीकृत)

लेखाधिकारी (वित्त)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा क्र. 4126/यां.प्र./07/झीलों एवं तालाब/2020/ भोपाल, दिनांक-18-3-2020
प्रतिलिपि:-

- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, म.प्र. ग्वालियर। (bhanc2@cag.gov.in)
- कलेक्टर, जिला- आगर मालवा की ओर सूचनार्थ।
- संयुक्त संचालक/आहरण एवं सवितरण अधिकारी, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास की ओर आहरण की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग- उज्जैन की ओर सूचित है कि मध्यप्रदेश वित्तीय शक्ति पुस्तिका भाग-2, 1995 के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषण हेतु।
- वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विध्यांचल भवन, कोषालय भोपाल।
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, आगर की ओर सूचनार्थ।
- देयक प्रति।

लेखाधिकारी (वित्त)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

(26)

कार्यालय नगर पालिका परिषद् आगर जिला आगर मालवा म0प्र0

प्रशासक संकल्प क्रमांक 48 दिनांक 26.03.2020

विषय:- रातडिया तालाब की DPR स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित करने बाबत।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया। निकाय द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री महोदय के निर्देशानुसार रातडिया तालाब के सौदधिकरण एवं विकास कार्य हेतु निकाय में प्रकरण क्र 164X3X15 में अनुमोदित दर योजना लागत का 1.20 % मय टेक्स सहित पर DPR लागत 340.01/- लाख की तैयार करवायी गई। उक्त DPR स्वीकृति हेतु शासन को शीघ्र ही भेजी जावे। निकाय द्वारा तैयार की गई DPR अनुमोदित की जाती है। तथा DPR तैयार कराये जाने की स्वीकृति व पुष्टि की जाती है। उक्त योजना बनाने में होने वाले व्यय की स्वीकृति न.पा. निधि/अनुदान से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विधिवत कार्यों की निविदाये आहुत की जावे।

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य नगर पालिका अधिकार
नगर पालिका परिषद् आगर

हस्ताक्षर
प्रशासक
नगर पालिका परिषद् आगर

Project Abstract

1	Name of Project	Development of Ratadia Lake, Agar- Malwa
2	Project under	"Jheel evum Jalashay Sanrakshan Yojna",
3	Name of town	Agar- Malwa
4	Implementing agency	Agar- Malwa Nagar Palika
5	Project cost	Rs 340.01 Lakhs
6	Resolution (ANP)	Annexed
7	Land ownership	Government (details attached in the report)
8	Project components	

CONSERVATION AND BEAUTIFICATION OF RATADIA LAKE ABSTRACT OF WORKS

Name of Work	Qty	Unit	Cost	GST @ 12%	Grand Total	Rs. In Lakhs	Estimate Code
Pitching work	860	RMTS	3025845	363101	3388946	33.89	A
Toe Wall (Retaining)	860	RMTS	8033351	964002	8997353	89.97	B
Boundary Wall	1300	RMTS	5087611	610513	5698124	56.98	C
Landscaping			8490042	1018805	9508847	95.09	D
4.1 Green Area (Grassing Plantation)	11000	Sqmts					
4.2 Pathway (2M Wide)	1200	RMTS					
4.3 Parking Paving	3000	Sqmt					
4.4 Stone slab Paving work	1200	Sqmt					
4.5 Lamp Post	74	Nos					
Stone wall (Hill side north part)	900	RMTS	526447	63174	589621	5.90	E
Compact Water Treatment Plant	1	Nos	5000000	600000	5600000	56.00	F
ChainLinked Fencing	120	RMTS	195096	23411	218507	2.19	G
Grand Total			30358391.2	3643007	34001398	340.01	




सहायक संजी
नगरपालिका परिषद्, आगर

उपसंजी
नगरपालिका परिषद्, आगर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका आगर

PROCESS FLOW BLOCK DIAGRAM



Sludge Disposal

ANNEXURE - IV
TECHNICAL DETAILS AND SCOPE OF SUPPLY

Model No.		500 KLD Moving Bed Bio Reactor (MBBR)
Capacity	M3	500
EQ Tank	RCC construction	
Tank Size L x W x D SWD	M3	6.0 x 6.0 x 2.5
Feed Pump	Centrifugal Non Submersible Type	
Capacity	m3 / d	Approx 600
Feed Pump	NO OFF	2
Feed Pump capacity	m3/hr	9
Head	mwc	10
Suction Head	mwc	2
Motor HP/ RPM		3 / 2900
Bar screen Chamber (L x W x D)	m x m x m	To be placed at inlet of Equalization tank to match the inlet channel. Should have 10 mm screen.
MOVING BED BIOREA (MBBR) TANK	SWD 1.9 m	
MOVING BED BIO RE (MBBR) Tank	m	11.35 x 2.25
Total Height	M	2.25
Volume of MOVING BE REACTOR (MBBR) Media	m3	4
Air required	Nm3/Hr	243
Capacity of Air Blower	m3/h	250
Head for Blower	Kg/cm2	0.37
Total No. of Diffuser	No	1 Lot
No. of Lamella Plates		1 Lot
Sludge Drying Beds	m2	84
Sludge Drying Bed Size SDB	L x W x D	2.5 x 2.5 x 1.2
No. of SDB	Nos.	4
Chlorination Zone	Should have 30 minutes residence time	
Chlorine Dosing System	10-50 ppm @ 100% conc of NaOCl	
Dosing Tank Capacity	Lit	100

Dosing Pump Cap	LPH	8.50
Chemical Required per Day @ 5%	Kg	During detailing

Additional Equipment for Scheme - II

Model No.		500 KLD Moving Bed Bio Reactor (MBBR)
Capacity	m ³ / day	500
MGF Feed Pump	Centrifugal Non-submersible type	
MGF Feed pump cap	m ³ / hr	9
Head	M	20
Motor HP / RPM		3/2900
MGF dia	Mm	800
Back Wash flow rate	m ³ / hr	20
ACF dia	mm	1200
Backwash Flow rate	m ³ / hr	10

TERMINATION POINTS

- 1 m from the inlet of Sewage FeedPumps
- 1 m from the treated water line at the outlet of Activated Carbonfilter
- 1 m from the backwash line of Multi-grade Sand Filter & Carbonfilter
- 1 m from the outlet of LamellaSettler

The following tanks need to be constructed in civil by ULB, for MBBR-200-MS;
(As Per Attached Drawing)

- 1- BarScreenChamber -L xW xD(M)
- 2- Oil &GreaseChamber -L xW xD(M)
- 3- GritTank -L xW xD(M)
- 4- EquilizationTank -L xW xD (M)
- 5- SludgeHoldingTank -L xW xD (M)
- 6- ClarifiedWater Tank -L xW xD (M)
- 7- Filler Feed Water Tank -L xW xD(M)

In addition to the above, MOVING BED BIO REACTOR (MBBR)-500-MS will require the main process tank in MS too, to be made by ULB.

ANNEXURE - VII
Schedule of Commercial Terms & Conditions

Price:

Price for design, engineering and supply of Sewage Treatment Plant 500KLD MOVING BED BIO REACTOR (MBBR) Technology is estimated as follows:-

Product	Price in Rs	Amount in Words
Sewage Treatment Plant 500 KLD MOVING BED BIO REACTOR (MBBR) Technology (complete with installation erection)	56,00,000.00	Fifty Six Lacs Only.
TOTAL	56,00,000.00	Fifty Six Lacs Only

TAX:@ 18% GST Extra as applicable at the time of order.


ज्योती
नगरपालिका परिषद, आगर


सहायक यंत्री
नगरपालिका परिषद, आगर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका आगर

MUNICIPAL COUNCIL , AGAR MALWA DISTT. AGAR MALWA

GENERAL ABSTRACT

Name Of Work :- Infrastructural Development Plan of Agar city

S. No.	Particulars	Type of Work	Length in m	Exist. Width of Road	Prop. Width of Road	Amount
						Lakhs
1	Construction of Drain at side of Ratadiya Talab	CC Drain & Footpath	1400.0	nil	2.80	106.81
2	Construction of Road & Drain from Shankar Kueya to Sarangpur Road	CC Road & Drain	1145.0	7.250 WBM	3.50	73.31
4	Construction of Road & Drain from Ujjain -Kota road to Premchand Khameriya via Housing Board Colony	CC Road & Drain	300.0	(7.50) 4.0 BT	4.0 CC	23.24
6	Construction of Road from Ayodhya Basti Shanu Hcuse to Guduu house	CC Road	161.0	3.75 WBM	3.75 CC	7.24
7	Development of Shamshan at Agar Malwa					
7A	Construction of Gavli Mali Samaj Shamshan at Side of Bada Talab	Shed & Hall				54.47 (51.87)
7B	Construction of Main Shamshan at Side Bambay Ghat of Bada Talab	Toilet , Hall & Boundry Wall				43.86 (41.38)
					Total	(303.77) 308.00
					ADD GST 12 %	(36.45) 37.00
					Grand Total	346.00 lakhs (340.23) 346.00 (340.23)
	SAYS		(340.23)	Lakhs		

संचा के पत्र क्र. 5885 दिनांक 28-5-18 द्वारा
 राशि 346.00 लाख की तब/प्रत. लोडिंग जारी।

Superintending Engineer
 Urban Administration & Development
 M.C. Bhopal

सहायक प्रमुख
 नगरपालिका प्रशासन एवं विकास
 भोपाल (म.प्र.)

MUNICIPAL COUNCIL , AGAR MALWA DISTT. AGAR MALWA(MP)

DETAILED ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF RCC DRAIN

Name Of Work :Construction of Drain at at Ratadiya Talab

Sr. No	SOR item	Description	No	L (m)	B (m)	D (m)	Unit	Quantity	Rate (Rs)	Amount (Rs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.6	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means over areas (exceeding 30cm in depth. 1.5m in width as well as 10 sqm on plan)including disposal of excavated earth, lead upto 50m and lift upto 1.5m, disposed earth to be levelled and neatly dressed.								
	I	soil upto 3 m depth	1	1430	1.40	1.45	Cum	2902.9		
			1	500	1.40	1.45	Cum	1015.0		
	(i)					Total	Cum	3917.9	114.0	446641
2	2.3	2.27 Supplying and filling in plinth under floors including, watering, ramming consolidating and dressing complete.								
	2.27.3	2.27.3 stone dust	1	1430	1.40	0.10	Cum	200.2		
			1	500	1.40	0.10	Cum	70.0		
						Total	Cum	270.20	565.0	152663
3	4.1	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering All work up to plinth level.								
	4.1	4.1.4 Cement concrete grade M-10 (Nominal Mix) with 20 mm maximum size of stone aggregate	1	1430	1.40	0.10	Cum	200.20		
			1	500	1.40	0.10	Cum	70.0		
						Total	Cum	270.20	3236	874232
4	5.20	5.20 Reinforcement for R.C.C. work including 6 straightening, cutting,bending, placing in position and binding all complete.								
	5.20.6	Thermo-Mechanically Treated bars. 100Kg per Cum of RCC 5%	1	100	0.50	1148	Kg	57418		
						Total	Kg	57418	54.0	3100545
5	5.2	Reinforced cement concrete work in walls (any thickness), including attached pilasters, buttresses, plinth and string courses,fillets, columns, pillars, posts and struts su spended floor roof slab, beams, etc. up to floor two level excluding cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement :								
	e	RCC Grade M20 with 20 mm maximum size of aggregate								
		Base	1	1430	1.30	0.15	Cum	278.85		
		Walls	2	1430	1.20	0.15	"	514.80		
		Haunch	1	1430	0.20	0.20	"	57.20		
		Base	1	500	1.30	0.15	Cum	97.50		
		Walls	2	500	1.20	0.15	"	180.00		
		Haunch	1	500	0.20	0.20	"	20.00		
						Total	Cum	1148.4	4255	4886459

Sr. No	SOR item	Description	No	L (m)	B (m)	D (m)	Unit	Quantity	Rate	Amount
									(Rs)	(Rs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	20	Centering and shuttering including strutting, propping etc.and removal of form for :								
	20.11	Walls (any thickness) including attached pilasters, butteresses, plinth and string courses etc								
		drain wall	2	1430	1.20		"	3432		
		Walls	2	1430	1.35		"	3861		
		drain wall	2	500	1.20		"	1200		
		Walls	2	500	1.35		"	1350		
							Total Sqm	9843.00	124.0	1220532
									Total	10681072
								Say Rs	106.81	Lakhs

(Note : - Rates are taken from Urban Administration and Development Department(M.P.)ISSR Integrated standard schedules of rates inforce from 10th May 2012)

